न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
09/2020	प्रा0पत्र 144 CPC	09.07.2020	17.07.2020

विजयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 46, चूरू —प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू —अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत प्रार्थी
2. पैरोकार राज अनुपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 1818/1522/909 रोही चूरू प्रार्थी के खातेदारी की थी। इस भूमि को दिनांक 22.06.2001 व दिनांक 17.03.2001 को सहायक कलक्टर, चूरू में प्रकरण संख्या 36/2001 में कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि का नामान्तरकरण नगरपालिका, चूरू के नाम दर्ज कर दिया गया। अब यह भूमि नगरपालिका चूरू की खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त दोनों आदेशों की अपील प्रार्थी ने सक्षम न्यायालयों में पेश की। मामला माननीय रेवेन्यु बोर्ड अजमेर तक गया, जहां माननीय रेवेन्यु बोर्ड में उक्त दोनों आदेश खारिज कर दिये हैं। रेवेन्यु बोर्ड के निर्णय की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अब इस भूमि को प्रार्थी के नाम पुनः दर्ज करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि उक्त आदेश सहायक कलक्टर चूरू के थे, इसलिए इस प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार है तथा प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख.नं. 1818/1522/909 रोही चूरू की खातेदारी पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे एवं राजस्व बोर्ड के निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई परन्तु तहसीलदार चूरू की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। वकील प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी ने सशपथ अंकित किया कि कृषि भूमि ख.नं. 1818/1522/909 रोही चूरू कुल रकबा 1 बीघा 16 विश्वा मेरी खातेदारी का था जिसे नगरपालिका चूरू के नाम दर्ज कर दिया गया था

परन्तु कब्जा व काश्त आज भी मेरा ही है। इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में अब कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, ना ही किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 व सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निगरानी संख्या 4788/2014/चूरू अनुवानी विजयसिंह बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 03.05.2019 के द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू के निर्णय दिनांक 10.06.2014 एवं प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण कम सहायक कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 26.02.2001 व 17.03.2001 जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो नियमानुसार कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं उक्त न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के द्वारा दर्ज अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 10.06.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील प्रार्थी की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू के निर्णय दिनांक 10.06.2014 एवं प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण कम सहायक कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 26.02.2001 व 17.03.2001 की पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निगरानी संख्या 4788/2014/चूरू अनुवानी विजयसिंह बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 03.05.2019 की अनुपालना में पुनः दिनांक 10.06.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी संख्या 4788/2014/चूरू अनुवानी विजयसिंह बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 03.05.2019 में निगरानी स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू के निर्णय दिनांक 10.06.2014 एवं प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण कम सहायक कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 26.02.2001 व 17.03.2001 को अपास्त कर दिया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व आदेश माननीय न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व आदेश के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.06.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने निगरानी निर्णय दिनांक 03.05.2019 के द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू के निर्णय दिनांक 10.06.2014 एवं प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण कम सहायक कलक्टर चूरू के आदेश दिनांक 26.02.2001 व 17.03.2001 को

अपास्त कर देने से उक्त निगरानीधीन निर्णय व आदेश दिनांक 03.05.2019 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश कर सशपथ बयान किया है कि उक्त भूमि पर आज भी उसका कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, ना ही कोई स्थगन आदेश है। इसलिए प्रार्थी प्रथम दृष्टया उक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दिनांक 10.06.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल करवा कर अपने नाम खातेदारी में पुनः दर्ज करवाने का हकदार हैं। इस प्रकार धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी संख्या 4788/2014/चूरू अनुवानी विजयसिंह बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 03.05.2019 की पालना में तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1818/1522/909 तादादी 1.16 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू में दिनांक 10.06.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को पावन्द किया जाता है कि उपरोक्त वादगत कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्यों में उपयोग उपभोग नहीं करें। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि यह जांच करें कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो, भूमि समस्त प्रकार के ऋण भार से मुक्त हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं हो।

आदेश आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.7.2020

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू